

किशनाराम वनाम नाथुराम

2.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप.।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण
प्रतिवादिगण की तलबी में विचाराधीन है।
अधिवक्ता वादी को प्रतिवादिगण की
तलबी पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अवसर
दिए गए। इसके उपरान्त अधिवक्ता
वादी एवं स्वयं वादी द्वारा प्रतिवादिगण
की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई।
इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादी
एवं स्वयं वादी अपने वाद को लेकर
गंभीर नहीं है। लिहाजा आदेशिका
दिनांक 05.12.2024 की पालना में वादी
का वाद अदम-पालना में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। आदेश-09
नियम-05 स्पष्टित धारा 15। CPC के
तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाडमेर

